न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस०सी०एस०टी०एक्ट), बागपत।

पीठासीन अधिकारी- शबिस्तॉ आकिल, (उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP6283

UPBG010003172022

सेशन केस संख्या **77/2022**

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोजक।

बनाम

1. मदन पुत्र वेदी

2. मनीष पुत्र सुरेन्द्र धामा

3. निखिल पुत्र नरेन्द्र

समस्त निवासीगण ग्राम निबाली, थाना व जिला बागपत।

...........अभियुक्तगण।

मु०अ०सं०	1063/2021
धारा	323/34, 352 भा०दं०सं० व धारा 3(1)(द) व धारा 3(1)(ध)एस०सी०एस०टी०एक्ट
थाना	बागपत।
जिला	बागपत।

<u>निर्णय</u>

1. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण **मदन, मनीष व निखिल** उपरोक्त के विरूद्ध थाना बागपत, जिला बागपत की पुलिस द्वारा विचारण हेतु आरोप पत्र संख्या 785/2021, दिनांकित 24-11-2021, मु०अ०सं०-1063/2021, अन्तर्गत धारा-323, 352 भा०दं०सं० व धारा 3(1)(द) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम,1989 (एस०सी० एस०टी० एक्ट) में प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 07-11-2021 को वादी मुकदमा प्रवीण कुमार बाल्मिकी पुत्र सुभाष, निवासी ग्राम निबाली, थाना व जिला बागपत द्वारा एक टाईपशुदा तहरीर प्रदर्श क-1 थाना प्रभारी, थाना बागपत को इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि वह अपने घर के बाहर खड़ा था। अचानक हरिजन समाज के कुछ व्यक्ति आये और उस पर जानलेवा हमला कर दिया और उसके साथ मारपीट करने लगे। यह लोग गांव में बडे ही दबंग व्यक्ति हैं तथा गांजा व लुफा बेचते हैं तथा सभी गांव वालों को डराते हैं कि उनका कुछ नहीं बिगडेगा तथा उसके घर के बाहर आकर बदतमीजी करते हैं। उक्त व्यक्ति का नाम मदन पुत्र वेदी है। झगडे के छुटछुटाव के बाद एकदम कुछ गुर्जर समाज के व्यक्त मनीष पुत्र बबली, रजत पुत्र बबली, निखित पुत्र बबली हरिजन समाज का पक्ष लेते हुए सिर में जानलेवा हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसके सिर में चोट आयी है।

3. वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण मदन, मनीष, रजत व निखिल के विरूद्ध मु०अ०सं० 1063/2021 अन्तर्गत धारा 323, 352 भा०दं०सं० व धारा 3(1)(द) एस०सी०एस०टी०एक्ट के अन्तर्गत दर्ज किया गया और विवेचना की गयी। दौरान विवेचना विवेचक

Digitally signed by Shabistan Aquil
Date: 2026.03.07 10:55:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया, गवाहान के बयान अंकित किये गये तथा विवेचना उपरान्त अभियुक्त रजत की संलिप्तता होने का कोई साक्ष्य परिलक्षित न होने के आधार पर उनके नाम विवेचना से पृथक किये गये और अभियुक्तगण मदन, मनीष व निखिल के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित कर आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 323, 352 भा०दं०सं० व धारा 3(1)(द) एस०सी०एस०टी० एक्ट में प्रेषित किया।

4. आरोपपत्र आने पर इस न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा उस पर दिनांक 21-01-2022 को संज्ञान लिया गया ।

5. अभियुक्तगण के न्यायालय के समक्ष उपस्थित आने पर उसके विरूद्ध धारा 323/34, 352 भा०दं०सं० व धारा 3(1)(द) व धारा 3(1)(ध) एस०सी०एस०टी० एक्ट में दिनांक 22.03.2024 को आरोप विरचित किए गए। आरोप पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाये व समझाये गये जिनसे इन्कार करते हुये अभियुक्तगण ने विचारण की याचना की। तदोपरान्त अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया।

6. अभियोजन ने अपना केस साबित करने के लिए निम्नलिखित अभियोजन साक्षियों (पी.डब्ल्यू. के रूप में संदर्भित) प्रस्तुत किया है:-

क्र. सं.	साक्षी संख्या	साक्षी का नाम
1	पी०डब्लू 1	प्रवीण कुमार (वादी मुकदमा)
2	पी०डब्लू 2	नितिन(पीड़ित साक्षी)
3	पी०डब्लू 3	हैड कान्सटेबिल शुभम चौधरी (चिक लेखक)
4	पी०डब्लू 4	डाक्टर मुकेश कुमार (चिकित्सक साक्षी)

7. अभियोजन ने अपना केस साबित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज पेश किए हैं:-

क्रम संख्या	दस्तावेज प्रदर्श का विवरण	प्रदर्श
1	तहरीर	प्रदर्श क-1
2	चिक व जी०डी०	प्रदर्श क-2 व 3
3	चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट चुटैल प्रवीण	प्रदर्श क-4 व 6
	चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट चुटैल नितिन	प्रदर्श क-5
4	आरोप पत्र	प्रदर्श क-7
5	नक्शा नजरी	प्रदर्श क-8

8. अभियोजन की ओर से अपने कथानक को साबित करने के लिये प्रस्तुत किये गये गवाहों में से प्रथम साक्षी **पी०डब्लू० 1 प्रवीण कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि कब की घटना है, अब उसको याद नहीं है। वह कम पढा लिखा है। वह सिर्फ अपने हस्ताक्षर कर सकता है। जो थाने में तहरीर उसके द्वारा दी गयी थी वह किसी गांव वाले ने टाईप कराकर दी थी, जिस पर

उसके हस्ताक्षर नहीं कराये थे। गांव के मदन हरिजन पुत्र बेदी, मनीष गुर्जर, रजत गुर्जर पुत्रगण बबली व निखिल पुत्र नरेन्द्र ने उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की थी और न ही इन लोगों ने उसे कोई जातिसूचक शब्द कहा था और न ही इन लोगों ने हथियारों से उसके ऊपर कोई जानलेवा हमला किया था, न ही इन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी। इस साक्षी की तहरीर रिपोर्ट पर प्रदर्श क-1 डाला गया।

9. साक्षी **पी०डब्लू 2 नितिन** ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि घटना दिनांक 06-11-2021 को शाम के सात-आठ बजे की है। वह अपने गांव में मदन हरिजन पुत्र बेदी की दुकान पर उल्टियों की गोली लेने गया था तो मदन ने गोली देने से मना कर दिया जिससे उसकी व मदन की कहा-सुनी हो गयी। शोरगुल होने पर उनका बीचबचाव करने के लिये उसके ताऊ का लड़का प्रवीण पुत्र सुभाष भी आ गया। तभी मौके पर गांव के गुर्जर जाति के रजत पुत्र बबली, निखिल पुत्र बबली, मनीष पुत्र बबली भी आ गये। इन्होंने मदन का पक्ष लेते हुए उसके व उसके भाई के साथ अपने हाथ में लिये हुए डंडों से मारपीट शुरू कर दी और उन्हें जातिसूचक शब्द चमार, चमोटे कहा। शोरगुल पर गांव का जितेन्द्र पुत्र राजू व उसकी रिश्तेदारी में आए मेहमान अरूण पुत्र सोहनलाल, निवासी किला परीक्षितगढ, मेरठ आ गये थे, जिन्होंने बडी मुश्किल से उनको बचाया था फिर वह व उसका भाई प्रवीण थाने पर गये थे। थाने वालों ने उनकी चोटो का डाक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल बागपत में कराया था। फिर उसके भाई ने एक तहरीर लिखकर थाने पर दी थी।

10. **पी०डब्लू 3 हैड कान्सटेबिल शुभम चौधरी** ने अपने बयान मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि दिनांक 07-11-2021 को उसकी डयूटी थाना कार्यालय कोतवाली बागपत पर थी। वादी प्रवीण कुमार पुत्र सुभाष निवासी निबाली थाना कोतवाली बागपत के दिये गये प्रार्थना पत्र पर उसके द्वारा मु०अ०सं० 1063/2021 धारा 352, 323 भा०दं०सं० व धारा 3(1)द एस०सी०एस०टी०एक्ट बनाम मदन आदि पंजीकृत किया था जिसका खुलासा उसके द्वारा रोजनामचा आम में रपट नम्बर 59 समय 18:29 बजे किया गया था। विवेचना सी०ओ०सिटी को दी गयी थी। इस साक्षी ने चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क-2 के रूप में व जी०डी० बाबत कायमी मुकदमा को प्रदर्श क-3 के रूप में प्रमाणित किया है।

11. **पी०डब्लू 4 डाक्टर मुकेश कुमार** ने अपने बयान मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि दिनांक 06-11-2021 को समय 9:45 बजे होमगार्ड इमरान, चुटैल प्रवीण पुत्र सुभाष उम्र 26 वर्ष निवासी निबाली, थाना व जनपद बागपत को सी०एच०सी० बागपत लेकर आया था। जिसका मेडिकल परीक्षण उसके द्वारा किया गया था। जिसका एम०एल०पी०सी० नम्बर 1083/2021 है। चुटैल को निम्नलिखित चोटें थीं:-

1. फटा हुआ घाव चुटैल के सिर पर बांये कान के ऊपर बांयी तरफ था जिसका आकार 1.5X0.5 सेमी० था जो बांये कान से 9 c.m ऊपर था।

2. नीलगू निशान जिसका आकार 10.0 X 01 सेमी० था जो चुटैल के कमर पर ऊपरी हिस्से पर दांयी ओर था।

चुटैल नितिन पुत्र विनोद निवासी उपरोक्त, जिसका एम०एल०पी०सी० नम्बर 1082/21 है, को निम्नलिखित चोटें पायी गयी थीं:-

1. खरोंच का निशान जिसका आकार 1.5 X 1.0 सेमी० था जो चुटैल के बांये कंधे पर पीछे की तरफ था।

2. चुटैल ने गर्दन में दर्द की शिकायत बतायी थी।

चुटैल प्रवीण की चोट संख्या 1 को एक्स-रे के लिये सलाह दी गयी थी। प्रवीण की एक्स-रे रिपोर्ट पत्रावली पर संलग्न है जिसके अनुसार चुटैल प्रवीण की चोट संख्या 1 सामान्य पायी गयी थी। चुटैल प्रवीण की चोट संख्या 2 भी साधारण प्रकृति की थी, जो किसी सख्त वस्तु से आना सम्भव थी।

चुटैल नितिन की चोटें साधारण प्रकृति की थी।

पत्रावली पर उपलब्ध चुटैल प्रवीण व नितिन की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्टों व एक्स -रे रिपोर्ट को इस साक्षी ने क्रमशः प्रदर्श क-04 ता प्रदर्श क 06 के रूप में प्रमाणित किया है।

12. अभियोजन साक्षीगण उपरोक्त की जिरह का उल्लेख यथोचित स्थान पर निष्कर्ष के स्तर पर किया जाएगा।

13. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया। अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत बताया तथा पी०डब्लू 1 के बयान के संबंध में कुछ नहीं कहा तथा पी०डब्लू 2 के बयान के संबंध में झूठा आरोप लगाया जाना बताया तथा स्वयं को निर्दोष होना कहा और यह भी कथन किया गया कि उन्होने उक्त अपराध नहीं किया है गांव की पार्टीबाजी के आधार पर उक्त मुकदमा लगाया है। अभियुक्त द्वारा सफाई साक्ष्य पेश करने से इंकार किया गया। सफाई साक्ष्य हेतु अभियुक्त को एक अवसर प्रदान किया गया।

14. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित उपरोक्त आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध किया गया है। अतः उनके द्वारा अभियुक्त को आरोपित आरोप में दोषसिद्ध किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

15. दूसरी ओर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्यतः यह मौखिक तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित उपरोक्त आरोप को किसी प्रबल एवं विश्वसनीय साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। अतः उसके द्वारा अभियुक्त को संदेह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

16. मैनें उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्का को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का अवलोकन किया।

17. अभियोजन पक्ष पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 323/34, 352 भा०दं०सं० व धारा 3(1)(द) व धारा 3(1)(ध)एस०सी०एस०टी०एक्ट युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने का पूर्ण दायित्व बनता है।

18. अभियोजन को यह सिद्ध करना है कि अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोप साक्ष्य से साबित हैं अथवा नहीं। इस संबंध में अभियोजन द्वारा वादी मुकदमा प्रवीण कुमार को पी०डब्लू 1 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है बल्कि यह कथन किया है कि कब की घटना है, अब उसको याद नहीं है। वह कम पढा लिखा है। वह सिर्फ अपने हस्ताक्षर कर सकता है। जो थाने में तहरीर उसके द्वारा दी गयी थी वह किसी गांव वाले ने टाईप कराकर दी थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर नहीं कराये थे। गांव के मदन हरिजन पुत्र बेदी, मनीष गुर्जर, रजत गुर्जर पुत्रगण बबली व निखिल पुत्र नरेन्द्र ने उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की थी और न ही इन लोगों ने उसे कोई जातिसूचक शब्द कहा था और न ही इन लोगों ने हथियारों से उसके ऊपर कोई जानलेवा हमला किया था, न ही इन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी।

उक्त साक्षी को अभियोजन पक्ष की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया और अभियोजन को जिरह की अनुमति प्रदान की गयी। अभियोजन पक्ष की ओर से की गयी जिरह में उक्त साक्षी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० से इंकार किया है तथा इस सुझाव को गलत बताया है कि वह न्यायालय में किसी के दबाव में बयान दे रहा हो या मुलजिमान का बचाव कर रहा हो। इस प्रकार अभियोजन द्वारा की गयी जिरह में ऐसा कोई तथ्य निकलकर नहीं आया है जिससे कि अभियोजन कथानक को कोई बल प्राप्त होता हो।

19. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रकरण के दूसरे चुटैल साक्षी पी०डब्लू 2 नितिन को परीक्षित कराया गया है। उसके द्वारा यद्यपि अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए यह कथन किया गया है कि घटना दिनांक 06-11-2021 की शाम सात-आठ बजे की है। वह अपने गांव में मदन हरिजन पुत्र बेदी की दुकान पर उल्टियों की गोली लेने गया था तो मदन ने गोली देने से मना कर दिया जिससे उसकी व मदन की कहा-सुनी हो गयी। शोरगुल होने पर उनका बीचबचाव करने के लिये उसके ताऊ का लड़का प्रवीण पुत्र सुभाष भी आ गया। तभी मौके पर गांव के गुर्जर जाति के रजत पुत्र बबली, निखिल पुत्र बबली, मनीष पुत्र बबली भी आ गये। इन्होंने मदन का पक्ष लेते हुए उसके व उसके भाई के साथ अपने हाथ में लिये हुए डंडों से मारपीट शुरू कर दी और उन्हें जातिसूचक शब्द चमार, चमोटे कहा। शोरगुल पर गांव का जितेन्द्र पुत्र राजू व उसकी रिश्तेदारी में आए मेहमान अरूण पुत्र सोहनलाल, निवासी किला परीक्षितगढ, मेरठ आ गये थे, जिन्होंने बडी मुश्किल से उनको बचाया था।

20. परन्तु प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया है कि उसे नहीं पता कि यह घटना किस तारीख की है। उसे नहीं पता कि झगडा दिनांक 06-11-2021 को किस-किस के बीच हुआ था, न वह उक्त वक्त मौके पर मौजूद था। पुलिस द्वारा उसका कोई बयान नहीं लिया गया था। अभियुक्तगण मनीष, रजत, निखिल, मदन द्वारा उसके सामने व उसके साथ किसी ने भी कोई गाली गलौच नहीं की थी और न ही कोई जातिसूचक शब्द कहे थे। आज जिस मुकदमें में वह गवाही देने आया है, उसे इस मुकदमें के बारे में कुछ नहीं पता, उसे नहीं पता कि इस मुकदमें में गवाही के लिये उसका नाम किसने लिखवा दिया था। उसके सामने रजत, मनीष, निखिल व मदन द्वारा किसी पर भी कोई हमला नहीं किया गया, न ही मारपीट की गयी थी। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा जिरह में किये गये उपरोक्त कथनों से अभियोजन कथानक को कोई बल प्राप्त नहीं होता है।

21. साक्षियों की साक्ष्य से अभियोजन कथानक संदिग्ध प्रतीत होता है। मारपीट करके साधारण उपहति कारित करने, आपराधिक बल प्रयोग करने व जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित करने तथा गाली गलौच करने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अभियोजन अपने केस को साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है।

22. पी०डब्लू 3 हैड कान्सटेबिल शुभम चौधरी व पी०डब्लू 4 डाक्टर मुकेश कुमार औपचारिक साक्षीगण है और उनके द्वारा अभियोजन के प्रपत्रों को प्रमाणित किया गया है है परन्तु आपराधिक विधि के सुस्थापित सिद्धान्त के अनुसार जहॉ तथ्य के साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक को संदेह से परे सिद्ध नहीं किया गया हो तब वहॉ मात्र दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है।

23. यहॉ यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि वादी मुकदमा पी०डब्लू-1 प्रवीण कुमार ने तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श क-1 को थाने पर देना बताया है परन्तु उसके द्वारा मुख्य परीक्षण में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। जिससे प्रथमदृष्टया यह प्रकट होता है कि उसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य दी गयी है। अतः मेरी राय में न्यायहित में यह समीचीन है कि उक्त साक्षी के विरूद्ध

जॉच की जाये। अतः उक्त साक्षी पी०डब्लू-1 वादी मुकदमा प्रवीण कुमार के विरूद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज किया जाकर उसके विरूद्ध नोटिस धारा 383 बी०एन०एस०एस० जारी किया जाये कि वह अपना स्पष्टीकरण इस बिन्दु पर **दिनांक 31-03-2026** को प्रस्तुत करे।

24. अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों तथा पत्रावली पर आये साक्ष्य के परिशीलन के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन मामला सन्देह से मुक्त नहीं है और जहाँ सन्देहास्पद परिस्थितियाँ विद्यमान हो, वहाँ इसका लाभ अभियुक्तगण को ही दिया जाता है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण उनके विरूद्ध लगाए गए आरोपो से सन्देह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण **मदन, मनीष व निखिल** को सैशन केस नम्बर-77/2022, अपराध संख्या 1063/2021, थाना बागपत, जिला बागपत के संबंध में 323/34, 352 भा०दं०सं० व धारा 3(1)(द) व धारा 3(1)(ध) एस०सी०एस०टी०एक्ट के अन्तर्गत लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण इस मामले में जमानत पर है। अतः उनके बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा जमानतियों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण द्वारा धारा 437-क दं०प्र०सं० के अनुपालन में मुबलिग 25,000/-रूपये (पच्चीस हजार रूपये) के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो-दो प्रतिभूपत्र प्रस्तुत किए जायें, जो निर्णय की तिथि से छः माह तक वैध रहेंगे।

पी०डब्लू-1 वादी मुकदमा के विरूद्ध प्रकीर्ण वाद पंजीकृत किया जाये ओर उसे नोटिस अन्तर्गत धारा 383 बी०एन०एस०एस० इस आशय का जारी किया जाये कि क्यों न उसके विरूद्ध संक्षिप्त विचारण करके उसे दण्डित किया जाये।

दिनाँक : 06.03.2026 **(शबिस्तॉ आकिल)**
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
एस०सी०एस०टी०एक्ट, बागपत।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनाँक : 06.03.2026 **(शबिस्तॉ आकिल)**
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
एस०सी०एस०टी०एक्ट, बागपत।